बिहार सरकार
खेल विभाग
आदेश

पटना, दिनांक 03.12./2025

संख्या–1/स्था0–1(अनु०)–01/2025...4664.../ जिलाधिकारी, भागलपुर की अध्यक्षता में जिला अनुकम्पा समिति की दिनांक–15.07.2025 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–1135, दिनांक 21.07.2025 द्वारा संसूचित जिला अनुकम्पा समिति की अनुशंसा तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) के पत्रांक–13293, दिनांक–05.10.1991, पत्रांक–2822, दिनांक–27.04.1995 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–11462, दिनांक–24.08.2016 में निहित प्रावधानों के आलोक में स्व0 आनन्द कुमार सिन्हा, भूतपूर्व कार्यालय परिचारी, उप निदेशक शारीरिक शिक्षा, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के आश्रित पत्नी (आवेदिका) रूबी कुमारी को निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर समूह 'ग' विहित वेतनमान–वेतन स्तर–02 (राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमान्य भत्तों के साथ) में औपबंधिक रूप से अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करते हुए खेल विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत जिला खेल पदाधिकारी का कार्यालय, भागलपुर में पदस्थापित की जाती है।

2. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) के पत्रांक–11945, दिनांक–30.11.1984 के आलोक में आवेदिका रूबी कुमारी का नियुक्ति इस शर्त्त के साथ की जाती है कि मृत सरकारी सेवक के परिवार के भरण–पोषण का दायित्व उन पर होगा और इस उत्तरदायित्व की अवहेलना को गम्भीर कदाचार माना जायेगा, जिसके लिए विभागीय कार्यवाही की जाएगी और यदि यह पाया गया कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त सरकारी सेवक अपने उत्तरदायित्व की अवहेलना कर रही है, तो उनके परिलब्धियों का एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है।

3. आवेदिका रूबी कुमारी असैनिक शल्य चिकित्सक से स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्राप्त कर एवं मद्य निषेद्य, दहेज नहीं लेने संबंधी घोषणा–पत्र के साथ आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अंदर जिला खेल पदाधिकारी, भागलपुर के कार्यालय में अपना योगदान समर्पित करेंगी।

4. आवेदिका रूबी कुमारी को नियुक्ति के छः माह के अंदर कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

5. आवेदिका रूबी कुमारी की नियुक्ति में किसी प्रकार की त्रुटि पायी जायेगी, तो इनकी सेवा स्वतः समाप्त कर दी जाएगी।

6. प्रथम तीन (03) माह के वेतन भुगतान के उपरांत वेतन का भुगतान तब तक नहीं की जायेगी, जब तक आवेदिका रूबी कुमारी की शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण–पत्रों की जाँच एवं सत्यापन नहीं करा लिया जाय।

7. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–11462, दिनांक 24.08.2016 के कंडिका–(5) के आलोक में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त आवेदिका रूबी कुमारी को बिहार खेल लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2025 में विहित प्रावधानों के आलोक में परीवीक्षा अवधि में मंत्रिमंडल विभाग (राजभाषा) द्वारा आयोजित बिहार सरकारी सेवक (हिन्दी परीक्षा) नियमावली, 1968 में निहित प्रावधानानुसार हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा एवं केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगी।।

191 Deepa

8. जिला खेल पदाधिकारी, भागलपुर के कार्यालय में योगदान करने की तिथि से इनका योगदान स्वीकृत किया जाएगा तथा इनका वेतनादि सहित अन्य भत्ता का भुगतान जिला खेल पदाधिकारी का कार्यालय, भागलपुर एवं संबंधित जिला कोषागार से की जाएगी।

9. इनकी सेवा बिहार सरकार, वित्त विभाग के संकल्प संख्या–1964, दिनांक–31.08.2005 के अंतर्गत पेंशन की नई अंशदायी योजना से अच्छादित होगी।

10. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव–सह–नियुक्ति प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –

(निरंजन कुमार)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 1 / स्था0–1(अनु०)–01 / 2025.4664 पटना, दिनांक–03.12 / 2025

प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 1 / स्था0–1(अनु०)–01 / 2025.4664 पटना, दिनांक–03.12 / 2025

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी, भागलपुर की अध्यक्षता में जिला अनुकम्पा समिति के उनके कार्यालय ज्ञापांक–1135, दिनांक 21.07.2025 के प्रसंग में / जिलाधिकारी, भागलपुर / जिला खेल पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 1 / स्था0–1(अनु०)–01 / 2025.4664 पटना, दिनांक–03.12 / 2025

प्रतिलिपि– निदेशक, खेल / विशेष कार्य पदाधिकारी–सह –निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खेल विभाग / संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी / लेखा शाखा, खेल विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

ह0 / –

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 1 / स्था0–1(अनु०)–01 / 2025.4664 पटना, दिनांक–03.12 / 2025

प्रतिलिपि– रूबी कुमारी, पति–स्व0 आनन्द कुमार सिन्हा, ग्राम–लखीकांत आचार्य लेन, चम्पानगर, पो०+ थाना–नाथनगर, प्रखंड–नाथनगर, जिला–भागलपुर, पिन कोड–812004 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/12/25

संयुक्त सचिव।